प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

दांडिक अपील क्रमांक 1231 / 1992

मनराज

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु दिनांक 9/11/2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

दांडिक अपील क्रमांक 1231 / 1992

अपीलार्थी	**मनराज पिता जुगुल राजवार आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम छिंदिया वर्तमान निवासी मोर्मा, थाना पटना, जिला सरगुजा, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़ राज्य)**
	विरुद्ध
उत्तरवादी	मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थिति:

श्री मनोज मिश्रा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, के साथ श्री राजेंद्र त्रिपाठी, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(9.11.2010)

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति</u>

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 207/87 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.92 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 एवं 323 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया तथा 3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं 1500/- रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, व्यतिक्रम होने पर क्रमशः 4 माह के लिए साधारण कारावास एवं 6 माह के लिए सश्रम कारावास की दंडादेश सुनाई गई।

(3) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी- मनराज और उसके तीन बेटों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। आरोप है कि दिनांक 17.11.86 को उन्होंने मृतक सुंदर साय की हत्या कर दी और उसकी पत्नी- हिरोंदिया बाई को भी मामूली चोट पहुंचाई। अपीलार्थी- मनराज और मृतक सुंदर साय सगे भाई थे। मोरमा और छिंदिया गांव में उनकी पैतृक संपत्ति थी। मृतक- सुंदर साय मोरमा गांव में और अभियुक्तगण छिंदिया गांव में रहते थे। उनकी पैतृक संपत्ति में विभाजन हो गया था और विवादित भूमि (बहरा) अपीलार्थी मनराज के हिस्से में आ गई थी। स्वीकृत है कि अपीलार्थी मनराज कई वर्षों से विवादित भूमि पर खेती कर रहा था। वर्ष 1986 में मनराज ने विवादित भूमि पर धान की फसल बोई थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि वास्तव में धान की फसल मृतक सुंदर साईं ने बोई थी।

दिनांक 17.11.86 को लगभग 11 बजे दिन में जब मृतक, उनकी पत्नी हिरोंदिया बाई और उनके दामाद सोमार साय उक्त भूमि की धान की फसल की कटाई कर रहे थे, अभियुक्तगण वहां आए और उन्होंने सुंदर साय के सिर पर *लाठी* से हमला किया। उन्होंने हिरोंदिया बाई को भी कुछ चोट पहुंचाई। सुंदर साय के सिर पर चोट आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 21.11.86 को उनकी मृत्यु हो गई। शवपरीक्षण करने पर पाया गया कि उनके खोपड़ी के मध्य भाग में 3 इंच x 2 ½ इंच का फ्रैक्चर हुआ था। इसकी एक रेखा ललाट क्षेत्र तक विस्तारित है और एक रेखा बाएं कनपटी क्षेत्र तक विस्तारित है और दूसरी रेखा खोपड़ी के दाहिने कनपटी क्षेत्र तक विस्तारित है। किनारे संकुचित थे। खोपड़ी में खून के थक्के पाए गए। प्रारंभ में अपराध धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था, परन्तु बाद में यह धारा 302 भा.दं.सं. में परिवर्तित हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन विश्लेषण के बाद 3 अभियुक्तगण (अपीलार्थी-मनराज के पुत्रों) को उनके ऊपर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया। सत्र न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि उपरोक्त 3 अभियुक्त व्यक्ति भी हमले में शामिल थे। सत्र न्यायालय ने यह भी पाया कि वास्तव में विवादित भूमि आरोपी पक्ष के कब्जे में थी और उन्होंने उक्त भूमि पर धान की फसल बोई थी। घटना के दिन आरोपी अपनी धान की फसल काट रहे थे, मृतक वहां आया और उसने आरोपी व्यक्तियों

द्वारा काटी गई धान की फसल को छीनने का प्रयास किया, जिस पर यह घटना घटी और अपीलार्थी ने मृतक पर एक वार किया। अपीलकर्ता ने संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क प्रस्तुत किया। उक्त तर्क को सत्र न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विचाराधीन भूमि राजस्व अभिलेख में दोनों भाइयों (अपीलकर्ता और मृतक) के संयुक्त कब्जे में दर्ज थी, इसलिए भले ही अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर फसल बोई हो उन्हें उक्त संपत्ति पर इस संबंध में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा ने तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तर्क को निरस्त करके विधिक त्रुटि की है। जब यह माना गया कि अभियुक्त पक्ष ने भूमि पर खेती की थी और उन्होंने धान की फसल उगाई थी, तो केवल इस आधार पर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तर्क को निरस्त करने का कोई कारण नहीं था कि राजस्व अभिलेख अपीलार्थी और मृतक के संयुक्त नामों पर दर्ज है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) भारतीय दंड संहिता की धारा 97 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध; और अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति की, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध रक्षा करने का अधिकार है जो चोरी, डकैती, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है, या जो चोरी, डकैती, रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने का प्रयास है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) ***दर्शन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य, 2010 सीआरआई.एल.जे. 1393***, में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की तर्क पर विचार करने वाले न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना होगा कि तर्क स्वीकार्य है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनिवार्य रूप से तथ्यों का निष्कर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया:-

(i) आत्म-सुरक्षा एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है और सभी सभ्य देशों के आपराधिक न्यायशास्त्र द्वारा इसे विधिवत मान्यता प्राप्त है। सभी स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और सभ्य देश कुछ उचित सीमाओं के भीतर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं।

(ii) निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उसी को उपलब्ध है, जिसे अचानक किसी आसन्न खतरे को टालने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, न कि स्वयं उत्पन्न करने की।

(iii) आत्मरक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए मात्र एक उचित आशंका ही पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को जन्म देने के लिए अपराध का वास्तव में घटित होना आवश्यक है। यदि अभियुक्त को यह आशंका हो कि ऐसा अपराध होने की संभावना है और यदि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ऐसा अपराध होने की संभावना है, तो यह पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) निजी प्रतिरक्षा का अधिकार युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होते ही प्रारम्भ हो जाता है और ऐसी आशंका की अवधि के साथ समाप्त हो जाता है।

(v) हमला झेल रहे व्यक्ति से यह अपेक्षा करना अवास्तविक है कि वह अपने बचाव के लिए क्रमशः किसी अंकगणितीय सटीकता के साथ बदलाव करेगा।

(vi) निजी प्रतिरक्षा में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त बल व्यक्ति या सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक बल से पूर्णतया अनुपातहीन या अधिक नहीं होना चाहिए।

(vii) यह सर्वविदित है कि यदि अभियुक्त आत्मरक्षा का दावा नहीं भी करता है, तो भी ऐसी तर्क पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है।

(viii) अभियुक्त को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अस्तित्व को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) भारतीय दंड संहिता निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी प्रदान करती है जब वह कार्य विधि विरुद्ध या दोषपूर्ण कृत्य किया है।

(x) कोई व्यक्ति जो अपने जीवन या अंग को खोने के आसन्न और उचित खतरे में है, आत्मरक्षा के लिए अपने हमलावर को मृत्यु तक की क्षति पहुंचा सकता है, चाहे वह हमला करने का प्रयास किया गया हो या सीधे तौर पर धमकी दी गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) ***<u>पूरन सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1975 सीआरआई.एल.जे. 1479</u>*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि कब्जे की प्रकृति जो किसी अतिचारी को संपत्ति और व्यक्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार बनाती है, में निम्नलिखित गुण शामिल होना चाहिए:

(i) अतिचारी के पास पर्याप्त लम्बी अवधि से संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा होना चाहिए;

(ii) कब्जा मालिक की स्पष्ट या निहित जानकारी में होना चाहिए या बिना किसी छिपाने के प्रयास के होना चाहिए और जिसमें शत्रुता का तत्व शामिल होना चाहिए। हालाँकि, अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय की जाएगी;

(iii) अतिचारी द्वारा वास्तविक स्वामी को निष्काषित करने की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम होनी चाहिए तथा वास्तविक और असली मालिक द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए; और

(iv) कृषि योग्य भूमि के मामले में, स्थायी कब्जे की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सामान्य परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या अतिचारी ने कब्जा करने के बाद कोई फसल उगाई थी या नहीं। यदि फसल अतिचारी द्वारा उगाई गई थी, तो वास्तविक स्वामी को भी अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल को नष्ट करने और बलपूर्वक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अतिचारी को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा और वास्तविक स्वामी को निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि ***मुंशीराम एवं अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1968 एससी 702*** में प्रयुक्त 'स्थायी कब्ज़ा' शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के ऐसे स्पष्ट और प्रभावी कब्ज़े से है, भले ही वह अतिचारी ही क्यों न हो, जिसे आपराधिक विधि के अंतर्गत अपनी संपत्ति पर उसके मूल स्वामी द्वारा किए गए हमले से भी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अवधारित किया गया कि व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए:-

(i) यदि सार्वजनिक प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए पर्याप्त समय हो तो अधिकार उपलब्ध नहीं है;

(ii) आवश्यकता से अधिक हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए;

(iii) संबंधित व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट या संपत्ति को क्षति पहुंचने की उचित आशंका होनी चाहिए।

यह अवधारित किया गया कि यह विधि नहीं है कि जब किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो वह पुलिस थाने भाग जाए और अपनी रक्षा न करे या जब उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण और रिष्टी की गई हो तो वह हमलावर को संपत्ति पर कब्जा करने दे और स्वयं लोक प्राधिकारियों के पास भाग जाए। जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर आक्रमण या आक्रमकता का तत्व हो, जिसे कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक प्राधिकारियों की सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं है और अभियुक्त को हमले का विरोध करने और यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग करने का भी निस्संदेह अधिकार है। यह प्रश्न कि क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रखने वाले व्यक्ति ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया है, किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) वर्तमान प्रकरण में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करते हुए, निर्णय के कंडिका-39 के अनुसार एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया कि विवादित *बहरा* भूमि अभियुक्तगण के कब्जे में

थी और अभियुक्तगण ने उस भूमि पर धान की फसल उगाई थी। सत्र न्यायाधीश ने आगे यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि अभियुक्त अपने द्वारा बोई गई धान की फसल काट रहे थे, लेकिन मृतक ने अभियुक्तों द्वारा काटी गई धान की फसल को बलपूर्वक हड़पना चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर एक ही वार किया जिससे वह घायल हो गया और उपचार के दौरान 5वे दिन उसकी मृत्यु हो गई।

(11) अपीलकर्ता ने अपने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का कथन किया था। विवादित भूमि पर अभियुक्तों के अनन्य भौतिक कब्जे को स्वीकार करने के बाद भी, और यह निष्कर्ष देते हुए कि अभियुक्तों ने उक्त भूमि पर धान की फसल उगाई थी और मृतक उस फसल को बलपूर्वक हड़पना चाहता था, सत्र न्यायाधीश ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की तर्क को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि विचाराधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में दोनों भाइयों (अपीलार्थी और मृतक) के संयुक्त कब्जे में दर्ज थी, इसलिए अपीलकर्ता को संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। मैं *पूरन सिंह* (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। ऐसे मामले में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है संपत्ति पर वास्तविक भौतिक कब्ज़ा, जिसे *मुंशीराम* (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुसार स्थापित कब्ज़ा कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि कब्ज़ा किसी व्यक्ति का स्पष्ट और प्रभावी कब्ज़ा होना चाहिए, भले ही वह अतिचारी हो, क्योंकि उसे दंड विधि के अंतर्गत अपनी संपत्ति को मूल स्वामी द्वारा किए गए हमले से बचाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ अभियुक्तगण का कब्ज़ा बहुत पहले से प्रतीत होता है और संबंधित वर्ष में उन्होंने भूमि पर धान की फसल उगाई थी। इसलिए, भले ही भूमि राजस्व अभिलेख में दोनों भाइयों के संयुक्त नाम पर दर्ज थी, अपीलार्थी, जो भूमि पर अनन्य कब्जे में था, को अपनी संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था और सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष देने में त्रुटि की कि अपीलार्थी को ऐसा कोई अधिकार नहीं था और अपीलार्थी का कृत्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत सीधे दंडनीय था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अब प्रश्न यह उठता है कि अपीलार्थी ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कितने बल का प्रयोग किया? ऐसे प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त बल पूरी तरह से अनुपातहीन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक बल से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, जब अपीलार्थी की कटी हुई फसल को मृतक बलपूर्वक ले जाना चाहता था, तो अपीलार्थी ने धान की फसल ले जाने के लिए लाए गए *बैहेंगा* (कंधे पर धान ढोने के लिए बांस की छड़ी) से मृतक पर एक ही वार किया। निसंदेह अपीलार्थी ने मृतक पर केवल एक ही वार किया। यदि अपीलार्थी ने वार दोहराया होता, तो उसका प्रकरण अत्यधिक में आ जाता। उक्त परिस्थितियों में एक

ही वार का प्रयोग करने से अपीलार्थी द्वारा अपनी संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिरेक में प्रयोग का प्रकरण नहीं बनता।

(13) ***जय देव बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1963 एससी 612*** के प्रकरण में, जिसका उल्लेख पूरन सिंह के फैसले में भी किया गया है इस प्रश्न का उल्लेख किया गया था कि क्या प्रयोग किया गया बल आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया:-

> "लेकिन इस प्रश्न का अवधारण करने में कि क्या आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है या मौजूदा परिस्थितियों द्वारा उचित ठहराया गया है, पृथक निष्पक्षता के परीक्षण को अपनाना अनुचित होगा, जो कि उदाहरण के लिए, घटना घटित होने के काफी समय बाद, न्यायालय कक्ष में बहुत स्वाभाविक होगा। इसीलिए कुछ न्यायिक निर्णयों में यह देखा गया है कि धमकी दिए गए व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त बल के साधनों को स्वर्णतुला में नहीं तौला जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, यदि अपीलकर्ता द्वारा एक ही वार किया गया था और उसे दोहराया नहीं गया था, तो मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि यह पूर्णतः अनुपातहीन या बहुत अधिक बल के प्रयोग का प्रकरण नहीं था, क्योंकि प्रकरण के

प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता द्वारा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अधिक प्रयोग किया गया था।

(15) जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा हिरोंदिया बाई को पहुँचाई गई चोट का प्रश्न है, उससे संबंधित साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। हिरोंदिया बाई द्वारा की गई अतिशयोक्ति और तथ्यों को देखते हुए कि उनके साक्ष्य को अन्य तीन अभियुक्तों की संलिप्तता के लिए विश्वसनीय नहीं माना गया, यह पूरी तरह से संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ कि अपीलकर्ता ने हिरोंदिया बाई को कोई चोट पहुँचाई थी, जो केवल घुटने के दाहिने हिस्से और दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत कर रही थीं और उनकी दाहिनी जांघ पर चोट थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंड स्थिर नहीं रखी जा सकती।

(17) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 एवं 323 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है।

यह कहा गया है कि अपीलार्थी, जो पहले ही तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रह चुका है, अब जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu